न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/1796/2006/भरतपुर

1– रामसिंह पुत्र हुकम, जाति माली, निवासी सिघानखेडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

2– रमेशचंद पुत्र घन्सी, जाति माली, निवासी सिघानखेडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

3– हरीमोहन पुत्र घन्सी, जाति माली, निवासी सिघानखेडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

4– सुरेश उर्फ पप्पू पुत्र घन्सी, जाति माली, निवासी सिघानखेडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

5– मु0 पांची बेवा घन्सी, जाति माली, निवासी सिघानखेडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

6– देवीसिंह पुत्र सामलिया (मृतक) जरिये वारिसानः–

6/1– मु0 सौमौता बेवा देवीसिंह,

6/2– सुरेश पुत्र देवीसिंह (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक वली माता सौमौता पत्नि देवीसिंह, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

6/3– कलुआ पुत्र देवीसिंह (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक वली माता सौमौता पत्नि देवीसिंह, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

6/4– रवि पुत्र देवी (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक वली माता सौमौता पत्नि देवीसिंह, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

7– फूलसिंह पुत्र सामलिया, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

8– बच्चूसिंह पुत्र सामलिया, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

9– कैलाशचंद पुत्र सामलिया (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक वली माता मु0 रेशम बेवा सामलिया, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तह0 बयाना जिला भरतपुर ।

10– हण्डूराम पुत्र सामलिया (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक वली माता मु0 रेशम बेवा सामलिया, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तह0 बयाना जिला भरतपुर ।

11— मु0 रेशम बेवा सामलिया, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

12— रामजीलाल पुत्र सुखदेव, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

13— यादराम दत्तक पुत्र हेतराम, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

14— धर्मसिंह पुत्र गिर्राज, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

15— जगदीश पुत्र गिर्राज, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

16— पीतम पुत्र सम्पति, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

17— भूपसिंह पुत्र सम्पति, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

18— लालाराम पुत्र सम्पति, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

19— गुलकन्दी बेवा सम्पति, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

20— लक्ष्मण पुत्र देवीराम, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

21— प्रेमराज पुत्र देवीराम, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

22— दयाचंद पुत्र देवीराम, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

23— वेदप्रकाश पुत्र देवीराम, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

24— टीकमचंद पुत्र देवीराम, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

25— मु0 भग्गो बेवा देवीराम, जाति माली, निवासी सिघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

—अपीलांटस

बनाम

1— मु0 रामप्यारी बेवा नानगा, जाति माली, निवासी माली मौहल्ला, उपाध्याय पाडा, कस्बा नंदबई, जिला भरतपुर ।

2— करन पुत्र नानगा, जाति माली, निवासी माली मौहल्ला, उपाध्याय पाडा, कस्बा नंदबई, जिला भरतपुर ।

3— कमल पुत्र नानगा, जाति माली, निवासी माली मौहल्ला, उपाध्याय पाडा, कस्बा नंदबई, जिला भरतपुर ।

—रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्डपीठ</u>

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री भवानीसिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—

श्री वैभवकृष्ण पारीक, अधिवक्ता अपीलांटस

रेस्पोडेंटस एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 11.03.2026

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 188/2001 बउनवानी रामसिंह वगैरह बनाम मु0 रामप्यारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा अतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर के यहां पेश किया जो दिनांक 27.11.2000 को खारिज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस/वादीगण द्वारा न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2005 के द्वारा खारिज की गई । अपीलीय न्यायालय के

उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस/वादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3— हमनें अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी ।

4— अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने में कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है । अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है इसलिये अपीलीय न्यायालय का आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है । विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है । इसलिये वादीगण/अपीलांटस के पक्ष में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करनी चाहिये थी। अपीलांटस ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया था वे तथ्य वादीगण ने साबित कर दिये थे तथा दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये थे । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित खसरा नंबर 115 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा में से 1/3 पर अपीलांट संख्या 1, 1/3 भाग पर अपीलांट संख्या 2 लगायत 5 तथा 1/3 भाग पर अपीलांट संख्या 6 लगायत 11 खातेदार व काबिज चले आ रहे है तथा वादी/अपीलांट संख्या 12 व 13 बहिस्सा बराबर के खातेदार काबिज काश्त है तथा 1/3 हिस्सा पर अपीलांट/वादी संख्या 14 व 15 बहिस्सा बराबर के व 1/3 हिस्से पर अपीलांट संख्या 16 लगायत 19 एवं 1/3 हिस्से पर अपीलांट संख्या 20 लगायत 25 बराबर के खातेदार काश्तकार है । विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा एवं काश्त सवंत् 2012 से पूर्व से ही चला आ रहा है तथा इस आधार पर अपीलांटस/वादीगण खातेदार काश्तकार हो जाते है । अधी0न्यायालय में वादीगण/अपीलांटस एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के मध्य राजीनामा हो चुका था तथा इस राजीनामे में अपीलांटस एवं रेस्पो0 ने हस्ताक्षर किये थे तथा पक्षकारों के अभिभाषकगण द्वारा राजीनामे को तस्दीक किया गया था । रेस्पो0 ने विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा एवं काश्त संवत् 2012 से पूर्व से माना था । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को उक्त राजीनामे के आधार पर वादीगण/अपीलांटस का वाद डिक्री करना चाहिये था । यदि अधी0न्याया0

राजीनामे को नहीं मानती थी तो उन्हें वाद को गुणदोष के आधार पर वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर निर्णित करना चाहिये था । किन्तु अधी0न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर दोनों अधी0न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावे तथा अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 2023 आर0बी0जे0 पेज 297 एवं 2024 आर0बी0जे0 पेज 48 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5— हमनें अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम सिघानखेड़ा तहसील बयाना में आराजी खसरा नंबर 115 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसके वादीगण वादपत्र में दर्शाये अनुसार खातेदार होकर काबिज काश्त है । किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण का नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज कर रखा है । प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही उक्त आराजी पर कभी काश्त ही की है और ना ही प्रतिवादीगण बयाना के स्थायी निवासी है । किन्तु गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी पर कब्जा काश्त करना चाहते है । अतः वादीगण का वाद वादपत्र में अंकितानुसार डिक्री किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 23.09.1998 को जवाबदावा पेश कर वादकथनों से इंकार कर कथन किया कि वादीगण विवादित आराजी पर किसी भी हैसियत से काबिज नहीं रहा है और ना ही आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार है बल्कि आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 है । प्रतिवादी संख्या 1 मु0 रामप्यारी रामचंद्र की विधवा है, नानगा की पत्नि नहीं है । अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे । तत्पश्चात् पत्रावली के विचाराधीन रहते पक्षकारान द्वारा

दिनांक 25.04.2000 को एक राजीनामा पेश कर कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी पर उपरोक्त अनुसार वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । अतः वादीगण का वाद मुताबिक वांछित दादरसी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 के द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद सरसरी तौर पर मात्र 7–8 लाईनों में निर्णय पारित करते हुए इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण किस आधार पर रामप्यारी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटवाकर उसकी जगह स्वंय को खातेदार घोषित करवाना चाहते है । वादीगण अपने पक्ष को साबित करने में सफल नहीं हो सके है । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाबदावे तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन, विश्लेषण किये बिना तथा वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम किये बिना वादीगण/अपीलांटस का वाद केवल मात्र सरसरी तौर पर खारिज किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–आदेश 14 नियम 1 के प्रावधानों के विपरीत है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दष्टांत आर0बी0जे0 (31) 2024 पेज 48 का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **" सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–आदेश 14 नियम 1–दावे व जवाबदावे के आधार पर परीक्षण न्यायालय को विवाद्यक कायम करने चाहिये उसके बाद उभयपक्षों को लिखित व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिये व उसके उपरांत प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय करना चाहिये ।"**

इसी प्रकार आर0बी0जे0 2023 पेज 297 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– " CIVIL PROCEDURE CODE- Order 14 Rule – In this case issues were not framed whereas it is necessary that in every suit issues should be framed non framing of issue is dangerous in suit there cannot be any consent of legal issues."

7– हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इंकारी का जवाबदावा प्राप्त हो चुका था इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक विवाद्यक कायम किये बिना सरसरी तौर पर वादीगण का वाद खारिज किया गया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । प्रथम

अपीलीय न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानों को नजरअदांज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे भी विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री नहीं माना जा सकता है । यदि पक्षकार के मध्य राजीनामा होना जाहिर किया है तो उन्हें विवादित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेनी चाहिए न कि वाद में राजीनामा करना चाहिए । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8— परिणामतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2005 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिंह पालावत)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष